बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी०पी०एम०–29/2016– 2688 /कृ0,पटना,दिनांक 14-06-,2016

प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक (प्रशासन)–सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(।) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना अंतर्गत अन्न भंडारण योजना के तहत धातु कोठिला वितरण हेतु 499.983 लाख रूपये (चार करोड़ निन्यानवे लाख अट्ठानवे हजार तीन सौ रूपये) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए 9.9968 लाख रूपये (नौ लाख निन्यानवे हजार छः सौ अस्सी रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश – स्वीकृत।

निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना अंतर्गत अन्न भंडारण योजना के तहत धातु कोठिला वितरण हेतु 499.983 लाख रूपये (चार करोड़ निन्यानवे लाख अट्ठानवे हजार तीन सौ रूपये) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए 9.9968 लाख रूपये (नौ लाख निन्यानवे हजार छः सौ अस्सी रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. अनाज को सुरक्षित रखने के लिए धातु कोठिला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना ली गयी है। सुरक्षित भंडारण से अनाज का नुकसान नहीं होगा तथा खाद्य सुरक्षा के महती लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), बिहार, पटना के द्वारा 5 क्वीं० क्षमता के धातु कोठिला का प्राक्कलन प्राप्त हुआ है जिसकी प्राक्कलित राशि 2029.00 रूपये है। प्राक्कलन की प्रति अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है। 5 क्वीं० क्षमता के धातु कोठिला के लिये सामान्य किसानों को मूल्य का 40 प्रतिशत 812.00 रू० प्रति इकाई एवं अनुसूचित जाति तथा जन जाति श्रेणी के किसानों को मूल्य का 56 प्रतिशत 1136.00 रू० अनुदान अनुमान्य किया जायेगा। धातु कोठिला 0.62mm ISI G.I. sheet से निर्मित होना चाहिए।

3. पूर्व के वर्षों में इस योजना अन्तर्गत लाभान्वितों का चयन वर्त्तमान वर्ष में किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा। किसानों को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के किसी भी स्थानीय प्रतिनिधि (वार्ड सदस्य/मुखिया पंचायत समिति सदस्य/प्रखंड प्रमुख आदि) से अनुशंसा प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी की अनुशंसा प्राप्त करनी होगी। **"पहले आओ पहले पाओ"** के आधार पर कृषक का चयन किया जायेगा। कृषक पाठशाला के कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी। एक वित्तीय वर्ष में एक किसान को एक धातु कोठिला से अधिक पर अनुदान देय नहीं होगा। धातु कोठिला पर अनुदान के लिए इच्छुक किसानों से प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक/जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा प्राधिकृत कर्मी के द्वारा आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। किसानों से किसान मेला एवं विशेष कैम्प यथा किसान विकास शिविर आदि में भी आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा आवेदक किसान को प्राप्ति रसीद दी जायेगी। संबंधित कर्मी के द्वारा एक सत्यापित रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिसमें आवेदन का क्रमांक, तिथि एवं वर्ष का उल्लेख होगा। जिला कृषि कार्यालय में एक समेकित रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक आवेदन का क्रमांक, तिथि एवं वर्ष का उल्लेख होगा। आवेदन की जाँच प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक अथवा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा की जायेगी। आवेदन के जाँच की प्रक्रिया अधिक से अधिक 7 (सात) दिनों में निश्चित रूप से पूरी कर ली जायेगी। ऐसे सभी आवेदकों जाँचोपरान्त जिनका आवेदन अनुदान के लिये उपयुक्त पाया जाता हैं को जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा एक स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा। इस स्वीकृति पत्र में किसान को देय अनुदान तथा भुगतान की प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। योजना के लिए पात्र किसान स्वीकृति पत्र के आलोक में कृषि संबंधी आयोजित मेला में अपनी पसंद से किसी भी

प्रतिष्ठान से धातु कोठिला क्रय कर सकेगें। मेला में क्रय किये गये धातु कोठिला के सत्यापन के लिये मेला में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक अथवा समतुल्य पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जायेगा। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी धातु कोठिला के बिक्री संबंधी कैशमेमो पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे। किसान इसी कैशमेमो के आधार पर जिला कृषि पदाधिकारी को अनुदान का दावा समर्पित करेंगे। कैशमेमो में धातु कोठिला का मेक/मॉडल का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

4. किसी भी परिस्थिति में धातु कोठिला के स्वीकृत भौतिक लक्ष्य से अधिक का वितरण नहीं किया जायेगा। यदि अधिक वितरण किया जाता है तो इसकी सारी जिम्मेवारी जिला कृषि पदाधिकारी की होगी।

5. जिलों के लिए निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से संबंधित विवरणी अनुसूची -1 के रूप में संलग्न है। इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी होंगे एवं अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित कोषागार से स्वीकृत राशि की सीमा में आवश्यकतानुसार राशि की निकासी एवं व्यय कर सकेंगे। कृषि निदेशक, बिहार, पटना इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

6. उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाले कृषकों की सूची सभी पंचायत प्रतिनिधियों को हस्तगत करायी जायेगी। उक्त योजनान्तर्गत आयोजित होने वाले मेला/कैम्प में पंचायत प्रतिनिधियों को अवश्य आमंत्रित किया जायेगा।

7. योजना का कार्यान्वयन कृषि रोड मैप के अन्तर्गत निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेश के अनुसार किया जायेगा। योजना कार्यान्वयन में आवश्यकता होने पर प्रशासी विभाग द्वारा संशोधन किया जा सकता है।

8. वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के उदव्यय में वृद्धि होने की स्थिति में विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इस प्रस्ताव में सन्निहित दिशानिर्देशों के आलोक में बढ़ाया जा सकता है। मांग के अनुसार लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि के लिए लक्ष्यों का अन्तर जिला संशोधन प्रशासी विभाग के द्वारा किया जा सकेगा।

9. वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल स्वीकृत राशि 499.983 लाख रूपये (चार करोड़ निन्यानवे लाख अट्ठानवे हजार तीन सौ रूपये) में से अनुसूचित जनजाति के लिए 9.9968 लाख रूपये (नौ लाख निन्यानवे हजार छः सौ अस्सी रूपये) मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना- मांग सं०-1 उपशीर्ष-0134-इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड- P2401007960134, राज्य योजना स्कीम कोड- AGR-5022, विषय शीर्ष-33 01 सब्सिडी मद में उपबंधित राशि 80.00 लाख रूपये से विकलनीय होगा।

10. लाभान्वित कृषकों, जिनका बैंक में खाता खुल चुका है, को अनुदान की राशि/लाभ DBT (Direct Benefit Transfer) Programme के तहत सीधे बैंक खाता में अंतरित किया जायेगा। जिन कृषकों का अभी तक बैंक में खाता नहीं खुला है, उनका बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य है। ऐसे कृषकों का बैंक खाता खुल जाने के उपरांत इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

11. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनाक 20.05.2016 की बैठक में स्वीकृति संचिका संख्या-पी०पी०एम०-29/2016 के पृ0सं0-21/प० पर प्राप्त है। योजना कार्यान्वयन में मंत्री कृषि का दिनांक 13.05.2016 को स्वीकृति संचिका संख्या- पी०पी०एम०-29/2016 के पृ0सं0- 5/टि० पर प्राप्त है।

12. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पी०पी०एम०-29/2016 के पृ0सं0- 9/टि. पर दिनांक- 03.06.2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रभु राम) 7/6/16

निदेशक (प्रशासन)-सह- अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2016-17\DHATU KOTHILA (RKVY)\RAJYADESH DHATU KOTHILA 20116-17.DOCX

ज्ञापांक– पी०पी०एम०–29 / 2016 2688 / कृ0, पटना दिनांक 14-06-2016

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)–सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी०पी०एम०–29 / 2016 2688 / कृ0, पटना, दिनांक 14-06-2016

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग / वित्त विभाग / खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग / सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)–सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी०पी०एम०–29 / 2016 2688 / कृ0, पटना, दिनांक 14-06-2016

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)–सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी०पी०एम०–29 / 2016 2688 / कृ0, पटना, दिनांक 14-06-2016

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना / संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), बिहार, पटना / कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के सभी संबंधित पदाधिकारीगण / सभी जिला पदाधिकारी / सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) / सभी जिला नोडल पदाधिकारी / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)–सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2016-17\DHATU KOTHILA (RKVY)\RAJYADESH DHATU KOTHILA 20116-17.DOCX

अनूसूची–1

वित्तीय वर्ष–2016–17 में अन्न भंडारण योजना अन्तर्गत धातु कोठिला वितरण का लक्ष्य

भौतिक– संख्या में
वित्तीय– लाख रू० में

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रखंड की संख्या	पंचायत की संख्या	धातु कोठिला का वितरण – लक्ष्य – भौतिक				वित्तीय			
				सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	कुल	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	पटना	23	331	1878	344	34	2256	15.24936	3.90784	0.38624	19.54344
2	नालन्दा	20	249	1413	259	26	1698	11.47356	2.94224	0.29536	14.71116
3	भोजपुर	14	228	1294	237	24	1555	10.50728	2.69232	0.27264	13.47224
4	बक्सर	11	142	806	148	15	969	6.54472	1.68128	0.17040	8.39640
5	रोहतास	19	246	1396	256	26	1678	11.33552	2.90816	0.29536	14.53904
6	कैमूर	11	151	857	157	16	1030	6.95884	1.78352	0.18176	8.92412
7	गया	24	332	1884	346	35	2265	15.29808	3.93056	0.39760	19.62624
8	जहानाबाद	7	93	528	97	10	635	4.28736	1.10192	0.11360	5.50288
9	अरवल	5	68	386	71	7	464	3.13432	0.80656	0.07952	4.02040
10	नवादा	14	187	1061	194	19	1274	8.61532	2.20384	0.21584	11.03500
11	औरंगाबाद	11	203	1152	211	21	1384	9.35424	2.39696	0.23856	11.98976
12	भागलपुर	16	242	1373	252	25	1650	11.14876	2.86272	0.28400	14.29548
13	बांका	11	185	1050	192	19	1261	8.52600	2.18112	0.21584	10.92296
14	मुंगेर	9	101	573	105	11	689	4.65276	1.19280	0.12496	5.97052
15	जमुई	10	153	868	159	16	1043	7.04816	1.80624	0.18176	9.03616
16	लखीसराय	7	80	454	83	8	545	3.68648	0.94288	0.09088	4.72024
17	शेखपुरा	6	54	307	56	6	369	2.49284	0.63616	0.06816	3.19716
18	सारण	20	330	1873	343	34	2250	15.20876	3.89648	0.38624	19.49148
19	सीवान	19	293	1663	305	30	1998	13.50356	3.46480	0.34080	17.30916
20	गोपालगंज	14	234	1328	243	24	1595	10.78336	2.76048	0.27264	13.81648
21	मुजफ्फरपुर	16	387	2196	402	40	2638	17.83152	4.56672	0.45440	22.85264
22	वैशाली	16	290	1646	302	30	1978	13.36552	3.43072	0.34080	17.13704
23	सीतामढ़ी	17	273	1549	284	28	1861	12.57788	3.22624	0.31808	16.12220
24	शिवहर	5	53	301	55	6	362	2.44412	0.62480	0.06816	3.13708
25	पू० चम्पारण	27	410	2327	427	42	2796	18.89524	4.85072	0.47712	24.22308
26	प० चम्पारण	18	315	1788	328	33	2149	14.51856	3.72608	0.37488	18.61952
27	दरभंगा	18	330	1873	343	34	2250	15.20876	3.89648	0.38624	19.49148
28	मधुबनी	21	399	2264	415	41	2720	18.38368	4.71440	0.46576	23.56384
29	समस्तीपुर	20	381	2162	396	40	2598	17.55544	4.49856	0.45440	22.50840
30	बेगुसराय	18	257	1459	267	27	1753	11.84708	3.03312	0.30672	15.18692
31	सहरसा	10	153	868	159	16	1043	7.04816	1.80624	0.18176	9.03616
32	सुपौल	11	181	1027	188	19	1234	8.33924	2.13568	0.21584	10.69076
33	मधेपुरा	13	170	965	177	18	1160	7.83580	2.01072	0.20448	10.05100
34	खगड़िया	7	129	732	134	13	879	5.94384	1.52224	0.14768	7.61376
35	पूर्णिया	14	251	1425	261	26	1712	11.57100	2.96496	0.29536	14.83132
36	किशनगंज	7	126	715	131	13	859	5.80580	1.48816	0.14768	7.44164
37	अररिया	9	218	1237	227	23	1487	10.04444	2.57872	0.26128	12.88444
38	कटिहार	16	238	1351	248	25	1624	10.97012	2.81728	0.28400	14.07140
	कुल	534	8403	48029	8802	880	57711	389.99548	99.99072	9.99680	499.98300

अनुसूची-2

Revised Model Estimate of Metal Bin (5Q Capacity)

Over all height : 1460mm

Dia : 730mm

Capacity – $0.667m^3$

S.N	Article	Quality	Rate (Rs.)	Cost (Rs.)
1	2	3	4	5
1	0.62mm ISI G.I Sheet- (6'x4') including all taxes	2 No's	700 (L.S.)	1400
2	Labour (Highly skilled) (OL72 of BCD)	$\frac{1}{2}$	259	130
3	Helper (OL05 of BCD)	$\frac{1}{2}$	168	84
4	Lock system, Riveting & Handle	-	-	140 (L.S.)
5	Misc (Transportation of Material & Finished goods up to outlet etc.)	-	-	200 (L.S.)
6	Labour & Material Charges – To write beneficiary name & address, name of the scheme, scheme Number, amount of subsidy etc. as per guidelines of the scheme	-	-	75 (L.S.)
	Total	-	-	2029
		Two thousand twenty nine only		

Note: (i) Rates are taken from local market.

(ii) Model Estimate is revised as per letter No. RKVY Cell -463/ 2013-3296 dated 23.07.2014

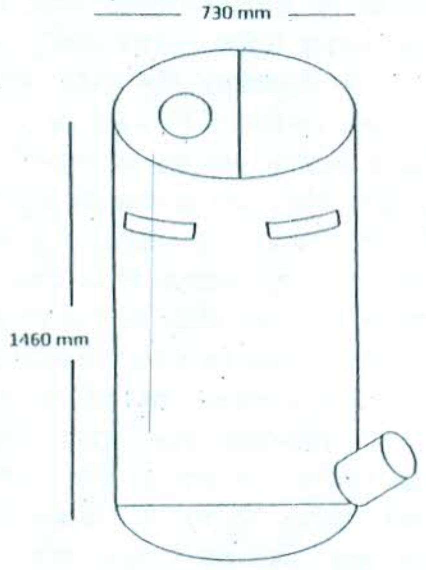

Assistant Director Agriculture,
(Engineering) Bihar, Patna.